



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या- प0नि0 30-122/2021- 3739

पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2021

आदेश

कॉम्फेड से सम्बद्ध दुग्ध संघों/इकाईयों द्वारा संचालित विभिन्न वाहनों को पंचायत निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहण से इस शर्त के साथ विमुक्त किया जाता है कि उक्त कार्य से सम्बद्ध वाहन का प्रयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न कार्य के लिये नहीं किया जायेगा। साथ ही इनका ऐसा कोई उपयोग नहीं किया जायेगा जिससे आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।

कॉम्फेड से सम्बद्ध दुग्ध संघों/इकाईयों में सिर्फ अनिवार्य सेवा में कार्यरत कर्मियों को पंचायत निर्वाचन, 2021 के कार्य से विमुक्त किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,
सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-122/2021- 3739 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2021
प्रतिलिपि : राजेश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-122/2021- 3739 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2021
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30-122/2021- 3739 पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2021
प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

सचिव।

10.9.21